भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2465

उत्तर देने की तारीख-04/08/2025

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की समीक्षा

†2465. **श्री ससिकांत सेंथिल:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में तकनीकी गड़बड़ियों, प्रश्नपत्रों में विसंगतियों या प्रक्रियागत देरी के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का एनटीए की संचालन प्रक्रियाओं और शासन संरचना की व्यापक समीक्षा करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो ऐसी समीक्षा की समय-सीमा और दायरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एनटीए के भीतर पारदर्शिता, जवाबदेही को बढ़ाने और शिकायत निवारण तंत्र के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने एनटीए द्वारा आयोजित हाल की परीक्षाओं के आयोजन की जाँच के लिए कोई जाँच या विशेषज्ञ समिति गठित की है या गठित करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने एनटीए के कामकाज को मजबूत करने के लिए किसी संस्थागत सुधार या संरचनात्मक परिवर्तन पर विचार किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकांत मजूमदार)

(क) से (च): राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की स्थापना 2018 में उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश/फेलोशिप के लिए परीक्षा आयोजित करने हेतु एक विशेष संगठन के रूप में की गई थी। वर्ष 2018 में अपनी स्थापना के बाद से, एनटीए ने 5.5 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों को शामिल करते हुए 250 से अधिक परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की हैं।

जनवरी 2025 से एनटीए द्वारा आयोजित प्रमुख परीक्षाओं में जेईई (मेन), सीयूईटी (पीजी), एनईईटी (यूजी), यूजीसी-नेट, सीयूईटी (यूजी) आदि शामिल हैं। उपरोक्त परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की

गई हैं तथा इनके परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं। एनटीए ने सूचित किया है कि एनटीए हेल्पडेस्क को परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न/शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिनका निवारण स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। सभी अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करते हुए तकनीकी विसंगतियों से संबंधित शिकायतों का भी निवारण तथ्यात्मक ग्राउंड रिपोर्टों के अनुसार किया गया है। प्रश्नों/उत्तर से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान विषय विशेषज्ञों द्वारा उत्तर चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से पारदर्शी तरीके से किया जाता है। एनटीए द्वारा परीक्षाओं की समग्र प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न की गई है।

एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए प्रभावी उपाय सुझाने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 22.06.2024 को विशेषज्ञों की एक उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसीई) का गठन किया। समिति ने दिनांक 21.10.2024 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और राष्ट्रीय साझा प्रवेश परीक्षा में सुधार की सिफारिश की है, जिसमें एनटीए को सुदृढ़ करना, राज्यों के साथ संस्थागत संबंध, ज्ञान और परीक्षा भागीदार के रूप में टेस्ट इंडेंटिंग एजेंसियों की भागीदारी आदि शामिल हैं।

एचएलसीई ने पेन और पेपर टेस्ट (पीपीटी) तथा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) दोनों परीक्षाओं में नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए उपाय और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की भी सिफारिश की है। निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार प्रश्नपत्र तैयार करने और उसकी जाँच के लिए दिशा-निर्देश भी सुझाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य सिफारिशों के अतिरिक्त, एचएलसीई ने छात्रों को परीक्षा केंद्र आवंटन के किसी भी असामान्य पैटर्न को रोकने के लिए परीक्षा केंद्र आवंटन नीति पर विस्तृत फ्रेमवर्क विकसित करने का आग्रह किया है। एचएलसीई ने एनटीए के शिकायत रिपोर्टिंग और निवारण प्रकोष्ठ को एआई/एमएल आधारित प्रौद्योगिकी शक्ति से लैस करने का आग्रह किया है, ताकि हितधारकों के प्रश्नों/शिकायतों का त्वरित आकलन किया जा सके और उचित समय सीमा के भीतर उत्तर प्रदान किया जा सके।

एनटीए को सुदृढ़ बनाने के लिए, निदेशक और संयुक्त निदेशक प्रत्येक स्तर पर 8 पदों सहित 16 नए पदों का सृजन किया गया है। राज्यों और जिलों के साथ संस्थागत लींकेज स्थापित किए गए हैं।

एनटीए द्वारा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के संचालन में सुधारों के कार्यान्वयन करने के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय संचालन समिति पहले ही गठित की जा चुकी है।

*****